न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सिंचाई प्रकरण संख्या 01/2015 (GCMS : 2015/00090)

1. **सीता राम** पुत्र श्री लालचन्द उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी 23 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **ज्ञान गुप्ता** पुत्र श्री महादेव प्रसाद गुप्ता निवासी वार्ड नं. 2, [illegible]हपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **रामलाल बवेजा** पुत्र श्री सुन्दर सिंह जाति अरोड़ा निवासी 23 एफ कमीनपुरा तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **महाप्रबन्धक,** राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि., श्रीगंगानगर
2. **The Superintending Engineer**, Water Resources Circle, Sriganganagar
3. **The Executive Engineer**, Water Resource North Division, Sriganganagar

13.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता जितेन्द्र पराशर अप्रार्थी सीताराम के अधिवक्ता श्री हरजीत सिंह जोली, एवं अप्रार्थी रामलाल के अधिवक्ता श्री सुरेश अरोड़ा उपस्थित हुए। अप्रार्थी ज्ञान गुप्ता के अधिवक्ता श्री महेन्द्र पाल गुप्ता को बार–बार आवाज लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। उपस्थित अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 15.12.2014 से राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम 1954 की धारा 21 से 28 तथा नियम 5 की कार्यवाही हेतु पत्रावली भिजवाई गई थी और अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर ने अपने उक्त आदेश दिनांक 15.12.2014 से अपने अंतिम पैरा में निम्न आदेश पारित किया है:

> अतः मौका से प्राप्त लेबल के अनुसार व राजकीय हित को ध्यान में रखते हुए मुरब्बा नम्बर 11 व 19 में स्वीकृत कुतरी खाल 132/129 से 131/130 से 132/131 तक को निरस्त किया जाता है व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नं. 21 व मुरब्बा नं. 20 के किला नम्बर 1 पत्थर नम्बर 131/130 पर पूर्व में स्वीकृत नाकों को निरस्त किया जाकर नाका मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 5 पत्थर नम्बर 130/130 में स्वीकृत किया जाता है तथा प्रस्तावित खाल पत्थर नम्बर 129/130 से 131/130 से 131/131 तक मुरब्बा नम्बर 21 (पत्थर नम्बर 129/130) के किला नम्बर 1 ता

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

5 में से, मुरब्बा नम्बर 20 (पत्थर नम्बर 130/130) के किला नम्बर 1 ता 5 व 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत किया जाकर मुरब्बा नम्बर 30(पत्थर नम्बर 131/131 से 132/131) में मौका पर चल रहे अस्वीकृत खाते के साथ जोड़ा जाता हैं पुलिया पत्थर नम्बर 131/131 पर स्वीकृत करने व प्रस्तावित भूमि में खाल चालू करने से पूर्व मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 1 से 5 (प्रत्येक में 0.10 बिस्वा) व मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1 से 5 (प्रत्येक 0.10 बिस्वा) व मुरब्बा नम्बर 20 के ही किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.10 बिस्वा) भूमि अवाप्त करने के लिए जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पत्रावली संलग्न कर प्रस्तुत की जावे।

अधीक्षण अभियंता, सिंचाई, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2015 से अधिशाषी अभियंता के आदेश दिनांक 15.12.2014 की पुष्टि की है।

अधीक्षण अभियंता, सिंचाई, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध अप्रार्थी सीताराम ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एसबी सिविल रिट दायर की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2018 से प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित (Rermand) करने पर, इस न्यायालय में पूर्व में विचाराधीन प्रकरण के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय का शामिल किया गया।

महाप्रबन्धक, शुगर मिल के अधिवक्ता ने कथन किया कि चीनी परिसर परियोजना हेतु चक 23 एफ कमीनपुरा तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12, 13, 18, 19, 32, व 33 की 37.695 हैक्टेयर (149 बीघा) भूमि अवाप्त की गयी है। इसमें मुरब्बा नम्बर 18, 32 व 33 सम्पूर्ण व मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 1, 2, 3, 11 से 13 व 16 से 25 (16 बीघा) कुल 91 बीघा का कब्जा लिया जाकर निर्माण किया गया है। उक्त भूमि में खाल चल रहा था, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यह खाल निर्माण कार्य के मध्य आने के कारण अस्थाई रूप खाल संचालित किया गया था। खाल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु अगर कोई भूमि अधिगृहित की जाती है तो अधिगृहित भूमि को नियमानुसार डीएलसी की दर से राशि का भुगतान उनके द्वारा कर किया जायेगा।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी सीताराम के अधिवक्ता ने लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विचाराधीन प्रकरण में संबंधित भूमि मालिक सीताराम जिसकी ओर से वे पैरवी कर रहे थे, उसने उक्त विवादित भूमि विक्रय कर दी है। नये क्रेता के द्वारा तो प्रार्थी को अधिवक्ता नियुक्त किया गया है और न ही कोई निर्देश दिये गये है इसलिए प्रार्थी पूर्व मालिक सीताराम की ओर से नो इन्स्ट्रंक्शन प्लीड करना चाहता है।

प्रार्थी रामलाल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वे अधीक्षण अभियंता, सिंचाई, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.11.2015 एवं अधिशाषी अभियंता के आदेश दिनांक 15.12.2014 से सहमत है, उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी सीताराम को उक्त आदेश से आपत्ति थी, वर्तमान में प्रार्थी सीताराम अपनी उक्त भूमि का बेचान कर दिया है इसलिए इस विचाराधीन प्रकरण में वर्तमान में अधीक्षण अभियंता, सिंचाई, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.11.2015 एवं अधिशाषी अभियंता के आदेश दिनांक 15.12.2014 से किसी काश्तकार कोई कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए अक्षीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश को यथावत् रखा जाना उचित होगा।

प्रार्थी ज्ञान गुप्ता के अधिवक्ता बहस के समय उपस्थित नहीं हुए।

मैने, पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि शुगर मिल, श्रीगंगानगर हेतु 131/128, 132/128, 131/129, 132/129, 131/130 व 132/130 कुल 6 मुरब्बा भूमि अवाप्त की गयी थी। इस क्षेत्र में आगे की भूमि के लिए खाल पत्थर नम्बर 132/128 से 132/129 से 131/130 से 132/131 तक भूमि में स्थित है। इस हेतु अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर ने समस्त काश्तकारों की भूमि को सिंचाई हेतु पानी उपलब्धता हेतु दिनांक 15.12.2014 को आदेश पारित कर किया था तथा उक्त आदेश दिनांक 15.12.2014 में प्रस्तावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम 1954 की धारा 21 से 28 तथा नियम 5 के अन्तर्गत तथा आवश्यक पुलिया की स्वीकृति हेतु पत्रावली प्राप्त हुई थी, जो दिनांक 11.02.2015 को दर्ज रजिस्टर की गई।

उक्त प्रकरण दर्ज होने से पूर्व प्रार्थी सीताराम और ज्ञान गुप्ता ने अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15.12.2014 के विरूद्ध अधीक्षण अभियंता के समक्ष अपील पेश की, अधीक्षण अभियंता ने अपने आदेश दिनांक 23.11.2015 से अधिशाषी अभियंता के आदेश को यथावत् रखा। अधीक्षण अभियंता के आदेश दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध प्रार्थी सीताराम ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एसबी सिविल रिट पैटीशन संख्या 14278/2015 पेश की।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 06.10.2018 से प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2018 को इस न्यायालय के पूर्व में विचाराधीन प्रकरण में शामिल किया गया।

अधीक्षण अभिंयता के आदेश दिनांक 23.11.2015 से अधिशाषी अभियंता के आदेश दिनांक 15.12.2014 को यथावत् रखा है। अधिशाषी अभियंता ने अपने आदेश दिनांक 15.12.2014 से प्रस्तावित भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम 1954 की धारा 21 से 28 तथा नियम 5 के अन्तर्गत तथा आवश्यक पुलिया की स्वीकृति हेतु पत्रावली अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाई गई है। राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम 1954 की धारा 24 तथा नियम 5 निम्नानुसार अवलोकनीय हैः

> **नियम 5** खण्डीय सिंचन अधिकारी द्वारा कलेक्टर को रिकॉर्ड भेजनाः – खण्डीय सिंचाई अधिकारी, जब भी वह धारा 22 या धारा 23 के अन्तर्गत जांच करता है, अपनी कार्यवाही कलेक्टर को धारा 24 एवं 25 के अन्तर्गत आदेश जारी करने हेतु अग्रेषित करेगा।

> **धारा 24 निवेदित सन्निर्माण या अन्तरण के प्रति आक्षेप** – धारा 22 या धारा 23, यथा स्थिति के अधीन नोटिस के प्रकाशन से तीन दिन के भीतर भूमि या जलमार्ग, जिसका नोटिस में निर्देश है, में हितबद्ध कोई व्यक्ति अर्जी द्वारा कलक्टर को, सनिर्माण या अन्तरण जिसके लिए आवेदन किया गया है, के प्रति अपने आक्षेप बतलाते हुए आवेदन कर सकेगा।
>
> (2) कलक्टर या तो अर्जी को रद्द कर सकेगा या आक्षेप की विधिमान्यता की जांच हेतु प्रभागीय सिंचाई अधिकारी को स्थान तथा समय का जिस पर ऐसी जांच की जाएगी, पूर्व नोटिस देकर कार्यवाही कर सकेगा।
>
> (3) कलक्टर इस धारा के अधीन उसके द्वारा पारित समस्त आदेशों तथा उनके आधारों को अभिलिखित करेगा।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी सीताराम के अधिवक्ता द्वारा नॉ इंन्स्ट्रंक्शन का लिखित प्रार्थना पत्र पेश करने एवं प्रार्थी रामलाल को अधिशाषी अभियंता

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

के आदेश दिनांक 15.12.2024 एवं अधीक्षण अभियंता के आदेश दिनांक 23.11.2015 पर कोई आपत्ति पेश नहीं की है। सुरक्षा की दृष्टि से अधीक्षण अभियंता के आदेश दिनांक 23.11.2025 में आंशिक रूप से संशोधन किया जाता है। राजस्थान स्टेट शुगर मिल्स लि., श्रीगंगानगर की दीवार(Boundary Wall) के साथ–साथ सरकारी रास्ते के साथ मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.10 बिस्वा) पर खाल संचालित है, जिसे फेरो कवर (Ferro Cover) से ढकने के आदेश दिये जाते है। सरकारी रास्ते के साथ उक्त संचालित खाल को फेरो कवर (Ferro Cover) से ढकने/निर्माण के व्यय होने वाली समस्त राशि राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि., श्रीगंगानगर के द्वारा वहन की जायेगी। अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 23.11.2015 को पारित शेष आदेश यथावत् रखा जाता हैं।

उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाये। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर, उपखण्ड अधिकारी, करणपुर एवं तहसीलदार, करणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर/अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर को निर्णय की प्रति मय उनके कार्यालय के रिकॉर्ड के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर